भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 870

बुधवार,14 दिसम्बर, 2022 (23 अग्रहायण, 1944 (शक)) को उत्तर के लिए

आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए सचिवालय

870. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक स्थायी सचिवालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है;

(ग) प्रस्तावित सचिवालय के हितधारकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) 'नो मनी फॉर टेरर' पहल के साथ सहयोग करने वाले देशों का ब्यौरा क्या है;

(ड़) क्या देश की जांच एजेंसियां इस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी;और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आतंकवादियों और चरमपंथियों को उनके हिंसक कृत्यों को अंजाम देने में सहायता प्रदान करने वाले वित्तपोषण के स्रोतों पर अंकुश लगाने के लिए, संपूर्ण विश्व के देशों के साथ सहयोग करने हेतु 18-19 नवम्बर, 2022 के दौरान आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण के विषय पर तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 'नो मनी फॉर टेरर' (एनएमएफटी) की मेजबानी की है। इस सम्मेलन में 77 देशों के शिष्टमंडलों और 16 बहु-पक्षीय संगठनों ने भाग लिया। इसका ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

इस सम्मेलन के दौरान, इस अनूठी पहल के स्थायित्व की आवश्यकता को महसूस करते हुए और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने हेतु वैश्विक ध्यान बनाए रखने के लिए, सरकार ने नो मनी फॉर टेरर' (एनएमएफटी) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए एक स्थायी सचिवालय स्थापित करने की पेशकश की है। सभी प्रतिभागी क्षेत्राधिकारियों को उनकी बहुमूल्य टिप्पणियों के लिए शीघ्र ही एक चर्चा पत्र परिचालित किया जाना है।

(ङ) और (च): प्रस्तावित सचिवालय एक जांच निकाय नहीं होगा। यह राष्ट्रों के बीच आपसी सामंजस्य एवं सहयोग की अवधारणा पर कार्य करेगा।

राज्य सभा अता.प्र.सं. 870 दिनांक 14.12.2022

अनुलग्नक

18-19 नवम्बर, 2022 के दौरान 'नो मनी फॉर टेरर' (एनएमएफटी) विषय पर तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों और संगठनों की सूची

राष्ट्र

1. अलजीरिया	27. जमैका	53. ओमान
2. अर्जेंटीना	28. हंगरी	54. फिलीस्तीन
3. अर्मेनिया	29. आइसलैंड	55. पौलैंड
4. ऑस्ट्रेलिया	30. इंडोनेशिया	56. पुर्तगाल
5. ऑस्ट्रिया	31. इराक	57. कतर
6. बहरीन	32. आयरलैंड	58. रोमानिया
7. बांग्लादेश	33. इजराइल	59. रसियन फेडरेशन
8. बेलारूस	34. इटली	60. सउदी अरब
9. बेल्जियम	35. जापान	61. सिंगापुर
10. ब्राजील	36. जॉर्डन	62. स्लोवाकिया गणराज
11. बुल्गारिया	37. कजाकस्तान	63. दक्षिण अफ्रीका
12. कंबोडिया	38. केन्या	64. दक्षिण कोरिया
13. कनाडा	39. कुवैत	65. स्पेन
14. चिली	40. लाओस	66. श्रीलंका
15. कोस्टा रिका	41. लिथुआनिया	67. सूडान
16. क्यूबा	42. लक्जमबर्ग	68. स्वीडन
17. साइप्रस	43. मलेशिया	69. स्वीट्जरलैंड
18. चेक गणराज	44. मालदीव	70. ताजिकस्तान
19. डेनमार्क	45. मॉरिशस	71. थाईलैंड
20. मिश्र	46. मंगोलिया	72. तुर्की
21. इथोपिया	47. मोरक्को	73. संयुक्त अरब अमीरात
22. फिनलैंड	48. नेपाल	74. यूनाइटेड किंगडम
23. फ्रांस	49. नीदरलैंड	75. संयुक्त राज्य अमेरिका
24. जर्मनी	50. न्यूजीलैंड	76. उज्बेकिस्तान
25. घाना	51. नाइजीरिया	77. वियतनाम
26. यूनान	52. नॉर्वे	

राज्य सभा अता.प्र.सं. 870 दिनांक 14.12.2022

संगठन

1. बिम्सटेक
2. ईएजी
3. एगमोन्ट समूह
4. यूरोपोल
5. यूरोपियन यूनियन
6. एफएटीएफ
7. जीसीसी
8. आईएमएफ
9. इंटरपोल
10. मनीवाल
11. सार्क
12. एससीओ-रैट्स
13. यूनाइटेड नेशन्स काउंटर टेरेरिज्म कमेटी एक्सिक्यूटिव डाइरेक्टोरेट
14. यूएनओसीटी
15. यूनाइडेट नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी)
16. डाकार स्थित वेस्ट अफ्रीकन मनी लॉड्रिंग ग्रुप (जीआईएबीए)